

अप्राकृतिक यौन संबंधों के अनरिदष्टि प्रावधानों पर सवाल

स्रोत: द हट्टि

दिल्ली उच्च न्यायालय ने [भारतीय दंड संहिता \(IPC\), 1860](#) की जगह नए अधिनियम [भारतीय न्याय संहिता- 2023](#) में अप्राकृतिक यौन संबंध और सोडोमी (गुदामैथुन) के लिये दंडात्मक प्रावधानों को अनरिदष्टि न करने पर चर्चा जताई।

- न्यायालय ने BNS में IPC की धारा 377, जिसे पूर्व में गैर-सहमति वाले [अप्राकृतिक यौन संबंधों](#) को अपराध माना जाता था, के समतुल्य प्रावधानों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया।
 - भारत में 'अप्राकृतिक यौन संबंध' से तात्पर्य प्रकृति के विरुद्ध मानी जाने वाली यौन गतिविधियों से है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 'अप्राकृतिक अपराध' से संबंधित है तथा इसे **किसी भी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति के विरुद्ध स्वैच्छिक शारीरिक संभोग** के रूप में परिभाषित करती है।
- इस चूक से [LGBTQ समुदाय](#), यौन उत्पीड़न के पुरुष पीड़ितों और अन्य कमजोर समूहों की सुरक्षा पर चर्चाएँ जताई गई हैं।
 - केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय विधायिका को कानून में वशिष्ट प्रावधान लागू करने का निर्देश नहीं दे सकते।
- वर्ष 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की धारा 377 के उन हिस्सों को हटाकर समलैंगिकता को अपराध मुक्त कर दिया, जिन्हें LGBTQ समुदाय के [मौलिक अधिकारों](#) का उल्लंघन माना गया था।
- 1 जुलाई 2024 को BNS लागू हुआ, जिसने IPC की जगह ली, लेकिन गैर-सहमति वाले यौन कृत्यों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक के लिये इसकी आलोचना की गई है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023

BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया, जिसमें 358 धाराओं (IPC की 511) को शामिल किया गया, IPC के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया, नए अपराधों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया और विभिन्न अपराधों के लिये दंड को बढ़ाया गया।

शामिल नवीन अपराध

- ❖ **विवाह का वादा:** विवाह करने के "झूठे/मिथक" वादे को अपराध घोषित करना
- ❖ **मॉब लिंगिंग:** मॉब लिंगिंग और हेट-क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध करना
- ❖ सामान्य आपराधिक कानून अब **संगठित अपराध** और **आतंकवाद** को कवर करता है, जिसमें UAPA की तुलना में BNS में आतंक का वित्तपोषण करना शामिल है।
- ❖ **आत्महत्या का प्रयास:** किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध माना गया है।
- ❖ **सामुदायिक सेवा:** इसमें चिकित्सा सेवा/सामुदायिक सेवा को सज़ा के रूप में जोड़ा गया है।

विलोपन

- ❖ **अप्राकृतिक यौन अपराध:** IPC की धारा 377, जो अन्य "अप्राकृतिक" यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई
- ❖ **व्यभिचार:** शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया
- ❖ **ठग:** IPC की धारा 310 पूर्ण रूप से हटा दी गई
- ❖ **लैंगिक तटस्थता:** बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिये संशोधित किया गया है

अन्य संशोधन

- ❖ **फेक न्यूज़:** झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अपराध है
- ❖ **राजद्रोह:** व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम 'देशद्रोह' के साथ पेश किया गया
- ❖ **अनिवार्य न्यूनतम सज़ा:** कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा निर्धारित की गई है, जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है
- ❖ **सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान:** श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाना (यानी क्षति की मात्रा के अनुरूप जुर्माना)
- ❖ **लापरवाही से मौत:** लापरवाही से मौत की सज़ा को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया (डॉक्टरों के लिये - 2 वर्ष की कैद)

प्रमुख मुद्दे

- ❖ **आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विसंगति:** आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु सात वर्ष बनी हुई है, आरोपी की परिपक्वता के आधार पर इसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुरूप नहीं है।
- ❖ **बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ:** BNS2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बच्चों के विरुद्ध कई अपराधों के लिये आयु सीमा भिन्न होती है, जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है।
- ❖ **बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC प्रावधानों को बरकरार रखना:** BNS2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है जैसे कि बलात्कार के अपराध को लैंगिक तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना।



और पढ़ें: [भारतीय न्याय संहिता- 2023](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/delhi-hc-questions-missing-provisions-for-unnatural-sex-in-bns-2023), [सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध से मुक्त किया](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/delhi-hc-questions-missing-provisions-for-unnatural-sex-in-bns-2023)